

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- फेफाना
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 216 सन 2017
अनवान :-

1. चानणमल पुत्र रामसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रामसिह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. पालाराम पुत्र रामसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. लिलाधर पुत्र रामसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
4. पुष्पा पुत्री रामसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की
धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 07.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार - 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन के मु0न0 59 ,60 ,62, 63, 64 ,65, 91 की 87.03 बीघा एवं चक 7 जेएसएन के मु0न0 5 ,6 ,7,21,22, 25 की 67.12 बीघा भूमि वादी के पडदादा हजारी पुत्र मोमन के नाम से सयुक्त खाता में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी।

वादी के पडदादा हजारी का देहान्त हो गया वादी के दाद सुरजाराम का भी देहान्त हो गया सुरजाराम के दो लडके लालचन्द व रामसिह हुए जिन्होंने वाद भूमि का खाता विभाजन कर लिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 125/126 की कुल 1.6562हैक् एवं चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 72/74 की कुल 3.5420हैक् भूमि आई प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि विरास्तन से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या ,4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये अब वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के निवेदन पर वाद राजस्व लोक अदालत में पेश हुआ प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या ,4 ने अपने हकों का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,ता 3 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों की ताईद में राजीनामा पेश किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया जिसके अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के पडदादा हजारी पुत्र मोमनराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके पुत्र सुरजाराम के नाम से दर्ज हुई सुरजाराम के देहान्त होने पर आपसी सहमति से खाता विभाजन होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई अर्थात विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है

S. J. J. J.

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन की प्रतिवादी संख्या ,4 ने अपने हकों को त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 , ता 3 के पक्ष में किया गया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,4 ने स्वीकार कर निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होंने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है ।

इसप्रकार वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना हक त्याग किया गया है राज्य हकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 जेएसएन के खाता संख्या 72/74 की कुल तादादी 3.5420 हैक् एवं चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 125/126 की कुल 1.6562 हैक् भूमि में जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- अखरे रूपये पाच हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे । यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे । व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे । इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

S. Zaich
शिविर प्रभाषि
राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-फेफाना

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट-फेफाना
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सीयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. चानणमल पुत्र रामसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रामसिह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. पालाराम पुत्र रामसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. लिलाधर पुत्र रामसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
4. पुष्पा पुत्री रामसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 216 सन 2018 निर्णय दिनांक-07.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में मुझ सीयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 जेएसएन के खाता संख्या 72/74 की कुल तादादी 3.5420 हैक् एवं चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 125/126 की कुल 1.6562 हैक् भूमि में जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- अखरे रूपये पाच हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

S. Zaidi
शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-फेफाना